भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 235

गुरुवार, 17 नवम्बर, 2016/26 कार्तिक, 1938 (शक)

सड़क दुर्घटनाओं के पीडितों के लिए सरकारी सहायता
235. **श्री सी. महेंद्रन:**
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार हाल ही में सड़क दुर्घटना के पीडितों के निकट संबंधियों को शीघ्र नकद सहायता देने पर विचार कर रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं सहित पीड़ितों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) लोक सभा में 9.08.2016 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया गया है जिसमें दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता देने की व्यवस्था है।

(ख) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वित्तीय सहायता का प्रावधान है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के आदेशों के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है। भारत में 2013, 2014 और 2015 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	भारत में सड़क दुर्घटनाएं
2013	4,86,476
2014	4,89,400
2015	5,01,423

****